



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

प्रेषक,

प्रभारी सम्पत्ति (जोन-8),
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

पत्रांक ५०८/भवन अनुभाग/2019

विषय : भवन संख्या-बी०के० ०२८, ई०डब्लू०एस० इन्द्रप्रस्थ, गाजियाबाद के सम्बन्ध में।

सेवा में

श्री दीपक कुमार पुराणी
विश्वामी लल
फॉन-३०२८६८८८१-११५०
लालोट गांवी रुप एक्स्प्रेस
लल-११५०३।

दिनांक : २१ /०६ / 2019

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक भवन के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि इन्द्रप्रस्थ योजना कोड-841-41डी के अन्तर्गत भवन आपके पक्ष में आवंटित किया गया था। प्रस्तावित योजना की आवंटन नियमावली (ब्रोशर) की धारा-8.00 के अनुसार "दुबल आय वर्ग हेतु आवेदक के परिवार की वार्षिक आय समस्त श्रोत्रों से रुपये 1,20,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय कोड-4 है। योजना प्रारम्भ होने की तिथि से ०६ माह पूर्व का आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आपके द्वारा योजना समाप्ति के पश्चात का आय प्रमाण पत्र प्रत्युत्त किया गया है, जोकि प्रश्नगत योजना की आवंटन नियमावली (ब्रोशर) की धारा-8.00 के अनुसार मान्य नहीं है। अतः उक्त भवन का आवंटन उपाध्यक्ष महोदया के आदेश दिनांक 15/03/2019 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

आप भवन से सम्बन्धित समस्त मूल अभिलेख (आवंटन पत्र, जमा धनराशि की समस्त रसीदे) एवं क्रॉस चैक मूल रूप से, पहचान पत्र की सत्यापित प्रति प्रार्थना पत्र के प्रत्युत्त कर अपनी जमा धनराशि नियमानुसार वापस प्राप्त कर सकते हैं, विलम्ब के लिए आप रवय उत्तरदायी होगे।

21/06/19
प्रभारी सम्पत्ति,
गाँवी०प्रा०, गाजियाबाद।